

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक-वि० प्रा० (III) ब<sup>3</sup> -16/2016

/पटना,दिनांक-

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,  
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, गया/सहरसा/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103- तकनीकी विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम' विपत्र कोड-43-2203001030001 के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटनादेश संख्या-10(आ), दिनांक 07.06.2017 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों यथा सहरसा/पूर्णिया/गया (छावनी)/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/आरा को कुल रु. 24,04,000=00 (चौबीस लाख चार हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषयशीर्ष	रा० म० औद्योगिक विद्यालय पूर्णिया	रा० म० औद्योगिक विद्यालय सहरसा	रा० म० औद्योगिक विद्यालय गया(छावनी)	रा० म० औद्योगिक विद्यालय मुजफ्फरपुर	रा० म० औद्योगिक विद्यालय भागलपुर	रा० म० औद्योगिक विद्यालय आरा	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01 वेतन	1203000	146000	113000	235000	16000	262000	1975000
01 03 जीवन यापन भत्ता	75000	0	6000	0	0	0	81000
01 04 मकान किराया भत्ता	2000	0	9000	8000	0	0	19000
01 05 परिवहन भत्ता	1000	0	2000	2000	0	0	5000
योग- वेतन	1280000	146000	130000	245000	16000	262000	2080000
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	324000	0	0	324000
कुल योग	1280000	146000	130000	569000	16000	262000	2404000
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

(क) बारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र।

(ख) एक लाख छियालिस हजार रुपये मात्र।

(ग) एक लाख तीस हजार रुपये मात्र।

(घ) पांच लाख उन्हत्तर हजार रुपये मात्र।

(ङ) सोलह हजार रुपये मात्र।

(च) दो लाख बासठ हजार रुपये मात्र।

(छ) चौबीस लाख चार हजार रुपये मात्र।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मांगलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं भत्ते के भुगतान के उपरान्त राशि शेष रहने पर अन्य बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।
8. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
9. स्वीकृतादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
10. व्यय विवरणी टी.बी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहरस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
11. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन

ह०/ -

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (III) ब<sup>3</sup> -16/2016-

/पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (III) ब<sup>3</sup> -16/2016-

/पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, गया/सहरसा/पूर्णिमा/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (III) ब<sup>3</sup> -16/2016-

88/पटना,दिनांक- 7/3/2018

प्रतिलिपि- उप निदेशक (यो.)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ar  
07.03.18

निदेशक

Ar  
07/03/18

Ar  
07/03/18